(दिनांक 30.09.2022 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए)





भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003।

Government of India,
Ministry of Personnel, Public Grievances &
Pensions,
Department of Personnel and Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110003.

(आयोग की वेबसाइट : https://@ssc.nic.in)

"सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जिससे लिंग संतुलन प्रतिबिंबित हो और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है"

<u>विज्ञप्ति</u>

भारत मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक सहायक परीक्षा, 2022

| ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथियां | 30-09-2022 से 18-10-2022 |
|---|--------------------------|
| ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय | 18-10-2022 (23:00) |
| ऑफलाइन चालान तैयार करने की अंतिम तिथि और समय | 19-10-2022 (23:00) |
| ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय | 20-10-2022 (23:00) |
| चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान) | 20-10-2022 |
| ऑनलाइन भुगतान सहित 'आवेदनपत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' की तिथि | 25-10-2022 (23:00 तक) |
| कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) का अनंतिम कार्यक्रम | दिसंबर, 2022 |

फा.सं. मु.-नी.यो101/8/2022-नी.यो.1 : कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की भर्ती योजना और आईएमडी तथा एसएससी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) में वैज्ञानिक सहायक, समूह 'ख'

अराजपत्रित, अलिपिकीय पद पर भर्ती करने के लिए एक मुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा। उक्त भर्ती क्षेत्रों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- 1.1 आईएमडी द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर एसएससी द्वारा परीक्षा का विज्ञापन दिया जाएगा।
- 1.2 अभ्यर्थियों से परीक्षा के आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
- 1.3 कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आवेदकों की संख्या के आधार पर अखिल भारतीय आधार पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 'कंप्यूटर आधारित परीक्षा' (सीबीई) मोड में परीक्षा का आयोजन करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलावा वत्र (कॉल लेटर) कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे और प्रवेशपत्र / प्रवेश प्रमाणपत्र के बारे में जानकारी के लिए आईएमडी की वेबसाइट पर एक "सूचना "प्रदान दी जाएगी।
- 1.4 दस्तावेज़ सत्यापन आईएमडी द्वारा किया जाएगा। आईएमडी अपनी वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को डीवी के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र जारी करेगा। डीवी के संबंध में एक नोटिस आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
- 1.5 अंतिम परिणाम को आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा और उसकी वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के अतिरिक्त 50% अभ्यर्थियों (श्रेणीवार) का एक 'रिजर्व पेनल / अतिरिक्त सूची' भी तैयार की जाएगी और इसे सीलबंद लिफाफे में आईएमडी को दिया जाएगा जिसे अपलोड नहीं किया जाएगा। यह 'रिजर्व पैनल' परिणाम घोषित होने की तारीख से डेढ साल की अवधि के लिए वैध रहेगा।
- 1.6 आईएमडी से संबंधित मुद्दों को छोड़कर परीक्षा की विज्ञप्ति से संबंधित अदालती मामलों / आरटीआई /लोक शिकायतों, ऑनलाइन आवेदन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने और मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित मुद्दों पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। शेष अदालती मामलों/आरटीआई/लोक शिकायतों आदि पर आईएमडी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 1.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के दौरान किसी भी कदाचार या प्रतिरूपण आदि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द करने की कार्रवाई एसएससी द्वारा की जाएगी।
- 1.8 डीवी के आयोजन के दौरान किसी भी कदाचार या प्रतिरूपण आदि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के मामलों पर कार्रवाई आईएमडी द्वारा की जाएगी।
- 1.9 गलत / त्रुटिपूर्ण डीवी डाटा के कारण मेरिट सूची / रिजर्व सूची में परिवर्तन (शामिल करने / सूची से निकालने) के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर आईएमडी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

2. रिक्तियों की अनंतिम संख्या / आरक्षण :

- 2.1 कुल रिक्तियां : 990
- 2.2 रिक्तियों की संख्या अनंतिम और परिवर्तन के अध्यधीन है।
- 2.3 अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजित (अजजा), अन्य पिछडा वर्ग (अपिव), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आकव) और बेंचमार्क दिव्यांगजन)बें. दिअभ्यर्थियों के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी (. आदेशों के अनुसार होगा।

- 2.4 एक हाथ प्रभावित (ए हा) या एक पैर प्रभावित (ए पै) और बौनापन (बौ) या तेजाब हमले से पीडि़त)ते ह पी) दिव्यांगजनों के लिए उपयक्त पदों की पहचान की गई है।
- 2.5 इन पदों के लिए अखिल भारतीय सेवा (एआईएसएल) होता है, अर्थात चयन होने पर अभ्यर्थी को देश में कहीं भी सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।

3. राष्ट्रीयता /नागरिकता:

- 3.1 अभ्यर्थी :
 - 3.1.1 भारत का नागरिक हो, या
 - 3.1.2 नेपाल की प्रजा हो, या
 - 3.1.3 भूटान की प्रजा हो, या
 - 3.1.4 ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 01 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो, या
 - 3.1.5 भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगनिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।
- 3.2 बशर्ते कि उपर्युक्त (3.1.1), (3.1.2) और (3.1.3) श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।
- 3.3 ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है को ,परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है लेकिन नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जाएगा।
- 4. आयु सीमा (दिनांक 18-10-2022 की स्थिति के अनुसार)
- 4.1 आयु सीमा: 18-10-2022 को अधिकतम 30 वर्ष। अभ्यर्थी का जन्म 19-10-1992 से पहले और 17-10-2004 के बाद का नहीं होना चाहिए।
- 4.2 आयु में छूट का दावा करने के लिए ऊपरी आयु सीमा और श्रेणी-कोड में अनुमत छूट इस प्रकार है:

| कोड | श्रेणी | ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त अनुमेय |
|-----|------------------------|--|
| सं. | | आयु-छूट |
| 01 | अजा/अजजा | 5 वर्ष |
| 02 | अपिव | 3 ਕਥੰ |
| 03 | दिव्यांगजन (अनारक्षित) | 10 वर्ष |
| 04 | दिव्यांगजन (अपिव) | 13 वर्ष |
| 05 | दिव्यांगजन (अजा/ अजजा) | 15 वर्ष |
| 06 | भूतपूर्व सैनिक(भूप्सै) | आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को |
| | | वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि |
| | | घटाने के बाद 03 वर्ष |

| 08 | किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी | 03 ਕਥੰ |
|----|--|---------|
| | उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान | |
| | अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से | |
| | निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक | |
| 09 | किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी | 08 वर्ष |
| | उपद्वग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त | |
| | हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त | |
| | हुए रक्षा कार्मिक (अजजा/अजा) | |

- 4.3 ऑनलाइन आवेदनपत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जन्म तिथि और मैट्रिक /माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज की गई उसी तारीख को आयोग द्वारा आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा और उसमें परिवर्तन करने हेतु तदनंतर अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 4.4 वैज्ञानिक सहायक का पद समूह 'बी 'पद होने के कारण भूतपूर्व सैनिक वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तथापि, वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए आयु में छूट का लाभ स्वीकार्य होगा।
- 4.5 सशस्त्र सेनाओं में भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस "की अवधि को भी नियमों के अनुसार आयु में छूट के प्रयोजनार्थ सशस्त्र सेनाओं की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।
- 4.6 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पदसेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के / अथवा उसे सक्षम प ,संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो ्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अविध के भीतर अर्थात 18.10.2023को सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अविध पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अविध के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए।
- 4.7 स्पष्टीकरण : भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है :
 - 4.7.1. जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना ,नौसेना और वायु सेना में एक लड़ाकू सैनिक या गैर-लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की है, और
 - 4.7.1.1 जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवा मुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ हो या निर्मुक्त हुआ हो या छोड़ा गया हो, या
 - 4.7.1.2 सैनिक सेवा से चिकित्सा आधार कार्यमुक्त किया गया हो अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो, या
 - 4.7.1.3 जिसे कर्मचारियों की संख्या में कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से किसे कार्यमुक्त किया गया है;

4.7.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि पूरा करने के बाद ,अपने स्वयं के अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंत मूर्त सेवा अथवा अलगअलग अवधियों - में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी भी शामिल हैं;

या

4.7.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सिहत सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण अशक्त होकर चिकित्सा आधार पर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पैंशन मिली हुई है;

या

4.7.4 ऐसे कार्मिक जो अप्रैल 14, माह से अधिक अविध के लिए 06 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 1987 प्रतिनियुक्ति पर थे

या

4.7.5 प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता;

या

- 4.7.6 भर्ती हुए भूतपूर्व सेनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर सेवा से मुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा विव्यांगता पेंशन प्रदान की गई है।
- 4.8 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट/भूतपूर्व सैनिक को दिया जाने वाला आरक्षणअनुमत्य नहीं है। अत: ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

5 प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

- 5.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों हेतु विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें संबंधित मांगकर्ता विभागों/ संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इन प्रमाणपत्रों के मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा / अजजा / अपिव / आकव / बें दि. / भूपूसै श्रेणी के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। प्रमाणपत्रों के प्रारुप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं। दिव्यांगता (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अंतर्गत जारी जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- 5.2 अजा / अजजा / अपिव / आकव / दि.जन स्थिति के दावे या किसी अन्य लाभ नामत: शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि की निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 18.10.2022 होगी।

- 5.3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चहिए कि उसके पास जाति / समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नही आता/आती है।
- 5.4 अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि उपर्युक्त के होते हुए भी उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पृष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव / आकव / बे.दि. / भूपूसै श्रेणी का दावा करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित कर दिया जाएगा

6. प्रतिपूरक समय का प्रावधान और प्रलिपिक की सहायता:

- 6.1 निम्नलिखित श्रेणियों अर्थात एक बांह प्रभावित (ए.बां), एक पैर प्रभावित (ए.पै.), बोनापन (बौ.) और तेजाब हमले के पीड़ित (ते.ह.पी.) से संबंधित बेंचमार्क दिव्यांगजनों के मामले में यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है। बेंचमार्क दिव्यांगजनों की शेष श्रेणियों के मामले में, अनुबंध-I पर दिए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लेखन संबंधी शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।
- 6.2 दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा तभी दी जाएगी, जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदन में उसका विकल्प चुना हो।
- 6.3 अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैआ कराए गए प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा। ऑनलाइन अभ्यर्थी को आवेदन प्रपत्र में इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा।
- 6.4 यदि अभ्यर्थी अपने प्रलिपिक का विकल्प देता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के समय अनुबंध-II पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा 13.7 पर दी गई सूची के अनुसार) मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अनुबंध-II पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा।
- 6.5 यदि अभ्यर्थी अपना प्रलिपिक चुनता है तो वह प्रलिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी प्रलिपिक के रूप में दूसरे दिव्यांग अभ्यर्थी की सहायता करते हुए पाया जाता है तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

- 6.6 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 6.1 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमित दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 6.7 उपरोक्त पैरा 6.1 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमित दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 6.8 परीक्षा हॉल के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के साथ प्रलिपिक के अलावा किसी अन्य परिचर को आने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 6.9 दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।
- 7. आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं (दिनांक 18-10-2022 की स्थिति के अनुसार):
- 7.1 विज्ञान (एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान के साथ) / कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक डिग्री

या

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या समकक्ष ।

- नोट-I: ऊपर संदर्भित अर्हक डिग्री या डिप्लोमा प्रथम श्रेणी में (60 % अंक) या 10 बिंदुओं के पैमाने पर 6.75 सीजीपीए होना चाहिए
- नोट :II अपर संदर्भित अर्हक डिग्री या डिप्लोमा (10+2) परीक्षा के बाद तीन (3) वर्ष की अवधि का होना चाहिए।
- नोट :III- आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा विज्ञान में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें भौतिक विज्ञान गणित मुख्य विषयों के रूप में हों।
- 7.2 जिन अभ्यर्थियों ने अपने स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षा दी है, वे भी आवेदन कर सकते हैं ,बशर्ते कि उनके पास कट-ऑफ तिथि यानी 18-10-2022 को या उससे पहले अनिवार्यता योग्यता होनी चाहिए।
- 7.3 भारत के राजपत्र में प्रकिशत मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की आधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्रीडिप्लोमा सहित समस्त/

:प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वत/डिग्रियां/डिप्लोमा ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्ष**ा ब्यू**रो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार, यदि ऐसी डिग्रियां उस प्रासंगिक अविध के लिए मान्य नहीं है जब अभ्यर्थियों उन्हें हासिल किया है, उन्हें शैक्षिक योग्यता के प्रयोजनार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई ऐसी डिग्री प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले / डिप्लोमा / में, ऐसे अभ्यर्थी दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रासंगिक अविध के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए अनुमोदन को भी प्रस्तुत करेंगे।

- 7.4 भारत के राजपत्र के भाग-III) 8((v) के तहत दिनांक को प्रकाशित विश्वविद्यालय 23.06.2017 के अनुसार 2017 विनियम (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) अनुदान आयोग, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धित के तहत किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, निर्मिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि के पाठ्यक्रम अनुमत्य नहीं हैं। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में, डब्लू .सं (सी).पी.382/2018 में एमए सं .3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11-03-2019 के आदेश के अनुपालन में, इन्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को प्रदान की गई अभियांत्रिकी में बी प्रयोज्य वैध माना जाएगा-डिप्लोमा यथा/टेक डिग्री.
- 7.5 दस्तावेजी सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि उससे पूर्व न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप प्रासंगिक प्रमाणपत्र जैसेकि स्नातक के सभी तीन वर्षों के अंकपत्र / अनंतिम प्रमाणपत्र / मूल रूप में स्नातक की डिग्री प्रस्तुत करने होंगे, इसमें विफल रहने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा । यह पुनः बताया जाता है कि जरूरी शैक्षणिक योग्यता के परिणाम संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाने चाहिए। संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण अंतिम तिथि से पहले महज परिणाम की प्रक्रिया शुरू करना ही आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरा करना नहीं हैं।
- 7.6 समकक्ष शैक्षिक योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त संगत समकक्षता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय भारत मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा लिया जाएगा।

8. आवेदन कैसे करें:

- 81. आवेदनपत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थातhttps://ssc.nic.in पर जमा किए जाने चाहिए। विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया अनुबंध-III और अनुबंध- IV का अवलोकन करें। एकबारगी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्माअनुबंध-IIIक और अनुबंध- IVक के रूप में संलग्न हैं।
- 8.2 ऑनलाईन आवेदनअभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार ,पत्र में-की फोटो(20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फ़ोटोग्राफ परीक्षाविज्ञप्ति प्रकाशित होने -की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिएफोटोग्राफ की छवि का आयाम

- लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे की होनी चाहिए और उसमें सामने का चेहरा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए।
- 8.3 यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के जो नमूने स्वीकार्य/अस्वीकार्य हैं, <u>अनुबंध-V</u> में दिए गए हैं।
- 84. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 1 8.10.2022(230:0) है।
- 8.5 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधाअ/समर्थता हो सकती है और ककी वेबसाइट पर .आ.च. लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।
- 8.6 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 8.7 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को प्रीव्यू / प्रिंट विकल्प के माध्यम से यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।

9. आवेदन शुल्क:

- 9.1 देय शुल्कः 100 / रुपए (एक सौ रुपए मात्र)
- 9.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), बेंचमार्क दिव्यांगजनों और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है.
- 9.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करके एसबीआई चालान बनवा कर किया जा सकता है।
- 9.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 20.10.2022 (23:00 बजे) तक कर सकते हैं। तथापि वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे 20.10.2022 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने दिनांक 19.10.2022 (23:00 बजे) तक चालान बनवा लिया है।
- 9.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अविध के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.6 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

10. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [25-10-2022 (2300 बजे तक)]:

- 10.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन परिमापों को ठीक / संशोधित करने के लिए एक दिन की अविध प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डाटा मकं अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन पुन: प्रस्तुत करने की अनुमित दी जाएगी।
- 10.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडों' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमित दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार / संशोधन करने के बाद पुन: एक बार सही आवेदन करने की अनुमित दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 10.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदनपत्र में संशोधन करने की अनुमित दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अविध के भीतर प्राप्त किए गए हैं।
- 10.4 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग / श्रेणी कुछ भी हो।
- 10.5 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- 10.6 एक बार भुगतान की गई राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 10.7 आवेदनपत्र सुधार राशि के अध्यधीन नवीनतम आशोधित / संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- 10 8. यदि आवेदनपत्र सुधार राशि कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदन की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और पहले जमा किए गए आवेदन वैध रहेंगे ।
- 10.9 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त हाने के पश्चात किसी

भी परिस्थित में किसी भी परिवर्तन / सुधार संशोधन करने की अनुमित नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

11. परीक्षा केन्द्रः

11.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (केंद्रों) को जरूर इंगित करना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है। परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्रों पर स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार हैं:

| क्र.सं | परीक्षा केंद्र और | कर्मचारी चयन आयोग का | क्षेत्रीय कार्यालयों / उनकी |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | केंद्र कोड | क्षेत्रीय कार्यालय और उसके | वेबसाइट का पता |
| | | क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने | |
| | | वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र | |
| 1 | भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर | मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/ | क्षेत्रीय कार्यालय (म.क्षे), |
| | (3205), पटना (3206), पूर्णिया | बिहार तथा उत्तर प्रदेश | कर्मचारी चयन आयोग, |
| | (3209), आगरा (3001), बरेली | | 34 ए, महात्मा गांधी मार्ग |
| | (3005), गोरखपुर (3007), झांसी | | सिविल लाइन्स, केंद्रीय सदन |
| | (3008), कानपुर (3009), लखनऊ | | प्रयागराज, |
| | (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज | | उत्तर प्रदेश -211001 |
| | (3003), वाराणसी (3013) | | (http://www.ssc-cr.org) |
| 2 | पोर्ट ब्लेयर (4802), धनबाद (4206), | पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / | क्षेत्रीय कार्यालय(पू.क्षे.) |
| | हजारीबाग (4204), जमशेदपुर | अंडमान और निकोबार द्वीप | कर्मचारी चयन आयोग, |
| | (4207), रांची (4205), बालासोर | समूह, झारखंड, ओडिशा, | प्रथम एमएसओ भवन, |
| | (ओडिशा) (4601), बरहामपुर | सिक्किम और पश्चिम बंगाल | (आठवां तल) , 234/4, |
| | (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर | | आचार्य जगदीश चन्द्र बोस |
| | (4604), कटक (4605)), राउरकेला | | रोड, कोलकाता, |
| | (4610), संबलपुर (4609), गंगटोक | | पश्चिम बंगाल-700020 |
| | (4001), आसनसोल (4417), | | |
| | बर्दवान (4404), दुर्गापुर (4426), | | (www.sscer.org) |
| | कल्याणी (4419), कोलकाता | | |
| | (4410), सिलीगुड़ी (4415) | | |
| 3 | बेलागवी (9002), बेंगलुरु (9001), | कर्नाटक केरल क्षेत्र | क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे), |
| | हुबली (9011), कलबुरगी (गुलबर्गा) | (क.क.क्षे.) / लक्षद्वीप, | कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम |
| | (9005), मंगलुरु (9008), मैसूर | कर्नाटक और केरल | तल, ''ई'' विंग, केन्द्रीय सदन, |
| | (9009), शिवमोग्गा (9010), उडुपी | | कोरमंगला, बेंगलुरु, |
| | (9012), कन्नूर (9202), कोल्लम (| | कर्नाटक-560034 |
| | 9210), कोट्टायम (9205), कोझीकोड | | (www.ssckkr.kar.nic.in) |
| | (9206), त्रिशूर (9212), | | |

| | तिरुवनंतपुरम (9211) | | |
|---|---|---|--|
| 4 | भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग-भिलाई (6205) | मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे.) / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश | उप निदेशक (म.प्र.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 |
| 5 | ईटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), चुराचंदपुर (5502), इंफाल (5501), उखरूल (5503), शिलांग (5401), आइजोल (5701), दीमापुर (5301), कोहिमा (5 302), अगरतला (5601), | उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। | (www.sscmpr.org) क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट, बेलटोला-बिशष्ठ रोड, पीओ असम सिचवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in) |
| 6 | देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), हरिद्वार (2005), रुड़की (2006), दिल्ली (2201), अजमेर (2401), अलवर (2402), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), कोटा (2407), श्रीगंगानगर (2408), उदयपुर (2409), सीकर (2411) | उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड | क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (www.sscnr.nic.in) |
| 7 | चंडीगढ़/मोहाली (1601), हमीरपुर(1202), शिमला(1203), जम्मू(1004), सांबा(1010), श्रीनगर(जम्मू-कश्मीर)(1007), लेह(1005), अमृतसर(1404), जालंधर(1402), लुधियाना(1405), पटियाला(1403), | उत्तर पश्चिमी उप-क्षेत्र (पश्चिमो. क्षे.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब | उप. निदेशक (एनडब्ल्यूआर), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 3, भू तल, केंद्रीय सदन, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org) |
| 8 | चिराला (8011), गुंटूर (8001), काकीनाडा (8009), कुरनूल (8003), नेल्लोर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयनगरम (8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), चेन्नै (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै | दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.) / आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना। | क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in) |

| | (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेलवेली (8207), वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल (8603) | | |
|---|---|---|---|
| 9 | पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), आनंद (7011), गांधीनगर (7012), मेहसाणा (7013), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड़ (7206), नासिक (7207), पुणे (7208) | पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.) / दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र | क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र -400020 (www.sscwr.net) |

- 11.2 अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प दे सकता है। परीक्षा के किसी भी स्तर पर / टियर (टियरों) में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।
- 11.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केन्द्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग अधिकार है कि वह किसी भी केन्द्र को रद्द कर दे और उस केन्द्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केन्द्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित कर दे।

12. परीक्षा की रूप रेखा

- 12.1 आयोग एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन करेगा जिसमें दो घंटे की अवधि के लिए 200 अंकों के 200 प्रश्न होंगे।
- 12.2 प्रश्नपत्र के निम्नानुसार दो भाग होंगे, भाग-। और भाग-॥ :

| पेपर | विषय | प्रश्नों की संख्या | अवधि और |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| | | | समय |
| भाग-। | (i) सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति | 25 | |
| कंप्यूटर | (ii) परिमाणात्मक अभिरूचि | 25 | |
| आधारित | (iii) अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान | 25 | _ |
| परीक्षा | (iv) सामान्य जानकारी | 25 | 120 ਸਿਜਟ (ਰਾਜ਼) |
| भाग-॥ | भौतिक विज्ञान / कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना | 100 | (कुल) |
| कंप्यूटर | प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार | | |

| आधारित | अभियांत्रिकी | |
|---------|--------------|--|
| परीक्षा | | |

- 12.3 अभ्यर्थियों को परीक्षा के भाग-। और भाग-।। दोनों करने होंगे । परीक्षा का भाग-।। ऑनलाइन आवेदन पत्र में चुने गए विषय के आधार पर होगा। दूसरे शब्दों में भाग-।। में भौतिक विज्ञान का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को भौतिक विज्ञान का पेपर देना होगा, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिक का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिक का पेपर देना होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार अभियांत्रिकी का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार अभियांत्रिकी का पेपर देना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी
- 12.4 परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान को छोडकर बाकी सभी प्रश्नों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाएगा।
- 12.5 परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय वे इस बात का ध्यान रखें।
- 12.6 आयोग उक्त परीक्षा को कई पालियों में आयोजित कर सकता है। यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को आयोग की विज्ञप्ति सं:1-1/2018-पी&पी-I दिनांक-07.02.2019 के माध्यम से प्रकाशित सूत्र द्वारा सामान्यीकृत किया जाएगा और इस प्रकार सामान्यीकृत किए गए अंकों को अंतिम मेरिट और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- 12.7 परीक्षा के बाद अनंतिम उत्तर-कुंजी आयोग के वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजी को देख सकते हैं और यदि कोई आपित है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर 100 रु. प्रति प्रश्न, जो कि अप्रतिदेय है, का भुगतान करके ऑनलाइन माध्यम से अभ्यावेदन दे सकते हैं। किसी भी अन्य माध्यम जैसे पत्र, आवेदन, ई-मेल आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर-कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन की, उत्तर-कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले, संवीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।
- 12.8 विज्ञप्ति में उल्लिखित परीक्षा का कार्यक्रम अनंतिम है। परीक्षा के कार्यक्रम में किसी भी तरह का बदलाव होने पर उसकी जानकारी सिर्फ आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।
- 12.9 प्रश्न-पत्र में जहां कहीं भी आवश्यक होगा, भार और माप की मीट्रिक प्रणाली व्यवस्था का प्रयोग किया जाएगा।
- 12.10 अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुनरावेक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.11 निर्देशात्मक पाठ्यक्रम (भाग-।)

- 12.11.1 **सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति**: इसमें शब्दिक और गैर-शब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शिमल होंगे। इस परीक्षा में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, अनुमान, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक व आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि पर प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की योग्यता की जांच करने के लिए अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके परस्पर संबंधों, अंकगणितीय गणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक प्रकार्यों से संबंधित प्रश्न भी तैयार किए जाएंगे।
- 12.11.2 **सामान्य जानकारी**: भारत की सामान्य, भौतिक, भौगोलिक, स्थलाकृतिक, आर्थिक और जलवायु संबंधी विशेषताएं। समसामयिक घटनाएं। वैज्ञानिक पहलूओं पर दिन-प्रतिदिन संबंधी पर्यवेक्षण का ज्ञान और अनुभव तथा तर्कशक्ति। गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान की मूल बातें। भारत का इतिहास, इसकी सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं। देश का आर्थिक और सामाजिक पहलू और इसके लोग।
- 12.11.3 परिमाणात्मक अभिरूचि: इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपर्युक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन,दशमलव, खण्डऔर संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज,लाभ एवं हानि,बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ,त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरुपता और समानता, वृत और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या आधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पिरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरुप्यता, अनुपूरक कोण, ऊचांई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ती बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे।
- 12.11.4 अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान: अंग्रेजी व्याकरण, शब्दकोश, वर्तनी, समानार्थी एवं विलोमार्थी, परिज्ञान, शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोग आदि।

12.12 निर्देशात्मक पाठ्यक्रम (भाग-॥):

12.12.1 भौतिक **विज्ञान :**

- 12.12.1.1 <u>यांत्रिकी</u>: मात्रक एवं आयाम, एस आइ (SI) मात्रक, न्यूटन का गित का नियम, रेखीय एवं कोणीय संवेग का संरक्षण, प्रक्षेप्य, घूर्णण गित, जड़ता प्रवृति, घुमावदार गित, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्रहों की गित, केप्लर का ग्रहों की गित का नियम, कृत्रिम उपग्रह, द्रव गित, बरनौली का प्रमेय, पृष्ठ तनाव, श्यानता, लोचदार स्थिरांक, किरण पुंज का बंकन, बेलनाकार वस्तुओं का ऐंठन, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत की प्रारंभिक विचारधार।
- 12.12.1.2 <u>तापीय भौतिक विज्ञान, विकिरण एवं ध्विन</u>: अवस्था का समीकरण, आदर्श एवं वास्तविक गैसें, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, तापमापी, शून्यकोटि, उष्मागितक का पहला व दूसरा नियम, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाएं, आंतरिक ऊर्जा, उष्मा इंजन, मैक्सवेल का संबंध, उष्मा धारिता, स्थिरोष्म

एवं समतापीय प्रक्रम, क्लासियस - क्लैपिरॉन संबंध, उष्मा चालकता, उष्मागितकी अवस्था संबंधी चर अर्थात आंतरिक ऊर्जा, एंट्रापी, एंथाल्पी, हेल्पहोज मुक्त ऊर्जा सिद्धांत, गिब्स का मुक्त ऊर्जा सिद्धांत, भाप दाब, वाष्पीकरण, गैसों का गित संबंधी सिद्धांत, ब्राउनियन गित, मैक्सवेल का वेग वितरण, ऊर्जा का समविभाजन, औसत मुक्त पथ, वानडेर वाल्स का अवस्था समीकरण, गैसों का द्रवण, कृष्णिका विकिरण, किरचोफ का नियम, स्टीफन का नियम, प्लैंक का नियम, ठोस पदार्थों में चालन।

- 12.12.1.3 <u>तरंग और दोलन</u>: सरल आवर्त गित, तरंग गित, अध्यारोपण सिद्धांत, अवमंदित दोलन, प्राणोदित दोलन तथा अनुनाद, सामान्य दोलन प्रणाली, छड़, सूत्र और वायु स्तंभों का कंपन, डॉप्लर प्रभाव, पराश्रव्य, सेबाइन का अनुरणन का नियम, ध्विन का अभिलेखन व पुनर्उत्पादन।
- 12.2.1.4 <u>प्रकाश विज्ञान</u>: प्रकाश का स्वरूप व संचरण, परावर्तन एवं अपवर्तन, व्यतिकरण; विवर्तन; प्रकाश का ध्रुवण, सरल व्यतिकरणमापी, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंग दैध्यों का निर्धारण, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम रैले प्रकीर्णन रमन प्रभाव, लेंस और दर्पण, समाक्ष तनु लेंसों का समायोजन, गोलीय व वर्णकता विपथन और उनका शोधन, सूक्ष्म दर्शी, दूरबीन, नेत्रिकाएं एवं प्रकाशमिति।
- 12.12.1.5 <u>विद्युत एवं चुंबकत्वः</u> विद्युत प्रभार, क्षेत्रक और स्थितिज, गाउस का प्रमेय, विद्युत-मापी, परावैद्युतिकी, पदार्थ और उनके मापन का चुंबकीय गुणधर्म, डिया का मूल सिद्धांत, परा और लोह-चुंबकत्व, शैथिल्य, वैद्युत धारा और उनके गुणधर्म, ओम का नियम, धारामापी, वेटस्टोन का सेतु और अनुप्रयोग, विभवमापी, फैराडे का इ एम (EM) प्रेरण का नियम, स्व और अन्योन्य प्रेरकत्व और उनके अनुप्रयोग, प्रत्यावर्ती धाराएं, प्रतिबाधा एवं अनुनाद, एल सी आर (LCR) परिपथ, डायनमो, मोटर, ट्रांसफार्मर, पेल्टियर-सीबेक और थामसन प्रभाव और अनुप्रयोग, विद्युत-अपघटन, हॉल प्रभाव, हर्टस प्रयोग और विद्युत-चुंबकीय तरंग, कण त्वरित और साइक्लोट्रॉन।
- 12.12.1.6 <u>परमाणु संरचनाः</u> इलेक्ट्रॉन 'इ' और इ/एम' का मापन, प्लैन्क नियतांक का मापन, रुदरफोर्ड-बोहर परमाणु, एक्स-रे, ब्रेग का नियम, मोसले का नियम, रेडियो धर्मिता, एल्फा-बीटा-गामा उत्सर्जन, अणु संरचनाओं की प्राथमिक धारणा, विखंडन, संलयन एवं रिऐक्टर, लई डी ब्रागली तरंगे एवं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
- 12.12.1.7 <u>इलैक्ट्रानिक्सः,</u> तापायनिक उत्सर्जन, डायोड एवं ट्रायोड, पी-एन डायोड एवं ट्रांजिस्टर, साधारण परिशोधक, प्रवर्धक एवं दोलित्र परिपथ।
- 12.12.1.8 <u>कलन</u>: सीमाएं, अवकलन (अंतर), समाकलन (संयोजन), बहुचर कलन (फलन सिद्धांत), अंतर समीकरणों का मूल सिद्धांत अर्थात प्रकार, अंतर समीकरणों की कोटि, फलन के संबंध में लेपलेसियन की अवधारणा।
- 12.12.1.9 रेखीय बीजगणित : सदिश समष्टि की अवधारणा, रेखीय परतंत्र / स्वतंत्र सदिशों की मूल अवधारणा, आव्यूह (मैट्रिक्स) और सारणिक (डिटरिमनेंट्स), इजेन मान और इजेन सदिश की अवधारणाएं।
- 12.12.1.10 <u>सदिश बीजगणित और कलन</u>: शून्य सदिश, मात्रक सदिश, स्थिति सदिश, सह प्रारंभिक सदिश, समान और असमान सदिश, समतलीय सदिश, समरेखीय सदिश, बराबर सदिश, विस्थापन सदिश, सदिश का

नकारात्क सदिश, सदिश एवं अदिश मात्राएं , दो सदिशों का डॉट गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल, सदिश कलन की मूल अवधारणाएं अर्थात ग्रेड्स, विचलन, कर्ल, स्टॉक प्रमेय, गॉस विचलन प्रमेय।

12.12.2 कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी

- 12.12.2.1 <u>कंप्यूटरः</u> कंप्यूटर का इतिहास और उनका वर्गीकरण, मूल संगठन, मेमरी-रैम, आर ओ एम, ई पी आर ओ एम इत्यादि। चुंबकीय फ्लापी, हार्ड डिस्क, सीडीआर ओ एम, डब्ल्यू ओ आर एम इत्यादि। कल्पित स्मृति (वर्चुअल मेमोरी) एवं द्रुतिका (केच मेमोरी) की संकल्पना, संख्या पद्वति, द्वि-आधारी अष्टाधारी, षोडस आधारी, द्वि-आधारी योग, घटाना और गुणा करना, प्लवन, बिन्दु निरुपण और अंकगणित, स्टैक(चिति)के माध्यम से अंकगणित।
- 12.12.2.2 <u>प्रचालन तंत्रः</u> कोडांतरक, कोडांतरण भाषा प्रोग्नामिंग के अवयव- कोडांतरण प्रक्रम का ओवरव्यू आई बी एम पीसी के लिए कोडांतरक, प्रक्रम तुल्यकालन, स्मृति प्रबंधन- एड्रेस बाइन्डिंग- गतिक भारण एवं शृंखलन- उपरिशायी- तर्कसंगत और वास्तविक एड्रेस स्पेस- समीपस्थ नियतन- आंतरिक एवं बाहरी खंडश। असमीपस्थ नियतन: पृष्ठन एवं खण्डी योजनाएं- क्रियान्वयन हार्डवेयर संरक्षा-संरक्षा- साझा करना- विखंडन।
- 12.12.2.3 यथार्थ स्मृति (वर्च्अल मेमोरी) : मांग पृष्ठन -पृष्ठ प्रतिस्थापन- पृष्ठ प्रतिस्थापन एल्गोरिद्म थ्रेसिंग।
- 12.12.2.4 <u>फाइल तंत्र-</u> फाइल संकल्पना- निर्धारण विधि- निदेशिका संरचना- संरक्षण संगति अर्थ विषयक-फाइल तंत्र संरचना- आबंटन तंत्र - रिक्त स्थान प्रबंधन।
- 12.12.2.5 <u>आई/ओ तंत्रः</u> विहंगम दृष्टि-आई/ओ हार्डवेयर- अनुप्रयोग आई/ओ अंतरापृष्ट- करनेल-आई/ओ उप तंत्र निष्पादन, द्वितीयक भंडारण संरचनाएं, संरक्षण, लक्ष्य, कार्य-क्षेत्र -अभिगम मैट्रिक्स।
- 12.12.2.6 <u>कोडांतरक-</u>कोडांतरण भाषा प्रोग्रामिंग के अवयव- कोडांतरण प्रक्रम की एक विहंगम दृष्टि-निम्नपारक कोडांतरक का अभिकल्प- आई बी एम पी सी के लिए एकल पारण कोडांतरक/सुरक्षा समस्या-प्रमाणन- चुनौतियां-चुनौतियों की निगरानी- गूढ़लेखन।
- 12.12.2.7 <u>प्रोग्रामिंग के आधारभूत तत्व</u> : यूनिक्स प्रोग्रामिंग, फोर्टन में प्रोग्रामिंग, सी, सी++ में लक्ष्य उन्मुख प्रोग्रामिंग, जावा में प्रोग्रामिंग, अनुभाषकों के आधार।
- 12.12.2.8 <u>डॉटाबेस प्रबंधन तंत्र</u>: बंधन पद्धित के लाभ एवं संगठक, डाटा के प्रकार, डाटा निदेशिका, पृच्छा आधार फार्म एवं रिपोर्ट, आलेखिकीय अभिलक्ष्य, त्रुटि से निपटना, वितरणकारी अनुप्रयोग, डाटा भंडारण पद्धित, डाटा गुच्छन तथा विभाजन, डाटाबेस प्रबंधन, बैकअप तथा पुनः प्राप्ति, सुरक्षा एवं गोपनीयता, वितरित डाटाबेस, क्लाइन्ट/सर्वर डाटाबेस, अभिलक्ष्य उन्मुख डॉटाबेस, समेकीकृत अनुप्रयोग, एस क्यू एल, आर डीबी एम एस।
- 12.12.2.9 <u>इंटरनेट प्रौद्योगिकी</u>: आधार, स्थान- विज्ञान, लेयर्स, नेटवर्किंग में स्विचिंग, सेतु-बंधन, रुटरस एवं गेटवे, नेटवर्क के प्रकार, डब्ल्यू डब्ल्यू, क्लाइन्ट/सर्वर अनुप्रयोग, इंटरनेट मानक एवं विनिर्देशन, आई

एसपी, ब्रॉड बैन्ड प्रौद्योगिकी, संदेशाचार, वैब-सर्वर, ब्राऊजर एवं सुरक्षा, अग्नि रक्षक भित्ति, डॉटा सुरक्षा, एचटीएमएल, डीएचटीएमएल- एक्स एम एल, वैब डिजाइनिंग।

12.12.2.10 <u>भौगोलिक सूचना तंत्र के मूलभूत सिद्धांत</u>: जी आई एस डाटा और स्थानिक माडल्स, संस्थिति डी स्थानिक प्रचालन प्रक्षेपण, मापन एवं समन्वय प्रणाली, मानचित्र, जी आई एस विश्लेषण, मानचित्र कला, जी आई एस अनुप्रयोग विकास के मूलभूत सिद्धांत।

12.12.3. इलैक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार

12.12.3.1 <u>इलैक्ट्रॉनिकी</u> : चालक, अर्ध-चालक, विद्युत-रोधी, चुम्बकीय, निष्क्रिय घटक,प्रतिरोधक, संघारित्र, विप्रेरक, अभिलक्षण पी एन जंक्शन डायोड, अग्र और उत्क्रम, अभिनति अभिलक्षण तथा डायोड, जेनर डायोड और अनुप्रयोगों का समतुल्य परिपथ, डायोड का प्रयोग करते हुए कर्तन, बंधन और परिशोधक परिपथ।

द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर (बीजेटी) क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर (एफ ईटी) और मोस्फेट; अभिनित तथा स्थिरता, उत्सर्जक अनुसरक और इसके अनुप्रयोग-ऋणात्मक फीड बैंक-एक स्विच के रुप में ट्रांजिस्टर बहुपदी, प्रवर्धक, फीडबैक, दोलित्र, बहुकपित्र, वोल्टेज विनियम, उर्जा प्रवर्धक।

नेटवर्क प्रमेय का परिचय : किरचोफ नियम, अध्यारोपण, थेवेनिन, नोर्टन और अधिकतम उर्जा प्रमेय।

प्रतिरोधकता, प्ररेकता और संधारित्रता में वोल्टेज और धारा संबंध। श्रंखलाबद्ध और समानांतर आर एल आर सी तथा आर एल सी परिपथों में प्रतिधाती, अनुक्रयता, चालकत्व, प्रतिबाधा और प्रवेश्यता की संकल्पना, त्रि-प्रावस्था आपूर्ति स्टार और डेल्टा कनेक्शन आरेख - लाईन और प्रावस्था तथा वोल्टेज और धारा, श्रंखला और समानांतर अनुनादी परिपथों के बीच संबंध-अनुनादी, अनुनाद, आवृत्ति, क्यू गुणांक और बैण्ड की चौड़ाई की स्थिति।

अंकीय इलैक्टॉनिकी: लाजिक गेट्स, डिमोरगन का प्रमेय, बुलियन बीजगणित, आवृति पटल, फ्लिप- फ्लाप्स विस्थापन प्रतिरोधक, अंकीय से अनुरुप और अनुरुप से अंकीय परिवर्तक की मूल अवधारणा, समय परिपथ, अंकीय तार्किक परिपथ, प्रणाली और कोड के संयोजन वाले तार्किक अभिकल्प।

12.12.3.2 <u>दूरसंचार</u>: मूल एन्टेना सिद्धांत निर्देशात्मक लिब्ध दिशिकता विकिरण पैटर्न, ब्रांड-साइड और अनुदैध्य व्यूह, यागी एन्टेना, पैराबोलिक एन्टेना, भू-तरंग सूचरण, आकाश तरंग, आयन मण्डल संचरण और विद्युत चुंबकीय आवृत्ति स्पेक्ट्रम, मॉड्यूल, मॉड्यूल के प्रकार, आयाम मॉड्यूल (एएम), मॉड्यूल सूचकांक, ए एम में ऊर्जा संबंध, ए एम की उत्पत्ति और विमॉड्लक।

एकल साइड बैंड (एसएसबी): ए एम की तुलना में ऊर्जा आवश्यकता, ए एम की तुलना में एस एस बी के लाभ, संतुलित मॉडलक की संकल्पना, एस एस बी की उत्पत्ति, पायलट कैरियर प्रणाली, स्वतंत्र साइड प्रणाली, अवशेषी साइडबैंड प्रेषण(ट्रांसिमशन)।

आवृत्ति मॉडूलेशन (एफ एम): एफ एम की परिभाषा, बैंडविद, नॉयस त्रिभुज, पूर्व प्रबलन और विप्रबलन।

पत्प मॉड्लेशन (पी एम): पी एम की परिभाषा, ए एम और एफ एम में अंतर, रेडियो रिसीवर, प्रतिचयन प्रमेय, पी ए एम, पी टी एम, पी डब्ल्यू एम, पी पी एम, स्पंद कोड मॉड्लन, क्वांदित नॉयज, कमांडिंग, पी सी एम प्रणाली, विभिन्नात्माक पी सी एम, डेल्टा मॉड्लन।

मल्टी प्लेक्सिंग : एफ डी एम/ टीडी एम

डिजिटल संचार का परिचय : पी एस के, ए एस के, एफ एस के, तन्तु प्रकाशिक प्रणाली का परिचय, प्रकाशीय तुंतु और किरण मॉडल में प्रकाश का संचरण।

एच एफ, वीएचएफ, यू एच एफ में सिग्नलों का संचरण और सूक्ष्म-तरंग आवृत्ति तथा उपग्रह संचार।

13. परीक्षा में प्रवेश

- 13.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु आयोग के क्षेत्रीय/ उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रोल नंबर और प्रवेश-पत्र (एसी) दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं।
- 13.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की प्रतियां आईएमडी द्वारा मांगे जाएंगे। शारीरिक और चिकित्सा मानकों की जांच परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात आईएमडी द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आईएमडी द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपनी शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र/दस्तावेज जमा करने होंगे। शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र/दस्तावेज जमा करने होंगे। शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र/दस्तावेज जमा करने होंगे। शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र विस्तावेज जमा करने होंगे। शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र विस्तावेज जमा करने होंगे। शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र विस्तावेज जमा करने होंगे। शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र विस्तावेज जमा कर विस्तावेज के पश्चात यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पृष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 13.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट(अर्थात https://ssc.nic.in) और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में अभ्यर्थी द्वारा चुना गया केंद्र स्थित है (ब्योरा पैरा 11.1 पर है) का अवलोकन करते रहें। प्रवेशपत्र / प्रवेश प्रमाणपत्र के बारे में जानकारी हेतु आईएमडी की वेबसाइट पर 'सूचना' भी दी जाएगी।
- 13.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित

क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयसे संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

- 13.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, अनुक्रमांक संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 13.6 परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।
- 13.7 प्रवेश प्रमाणपत्र के अलावा-, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटोपत्र में दी गई है-आईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म तिथि अंकित हो जोकि प्रवेश-, लाना अनिवार्य है, जैसे:
 - 13.7.1 आधार कार्डआधार का प्रिंटआउट-ई/,
 - 13.7.2 मतदाता पहचानपत्र-,
 - 13.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस,
 - 13.7.4 पैन कार्ड,
 - 13.7.5 ,पासपोर्ट
 - 13.7.6 ,पत्र-स्कूल द्वारा जारी पहचान/कॉलेज/विश्वविद्यालय
 - 13.7.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान,(निजी /सार्वजनिक उपक्रम /सरकारी) पत्र-
 - 13 7.8.रक्षा मंत्रालय द्वारा जार ी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका,
 - 13 7.9. पत्र ।-राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण/केंद्रीय
- 138. यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्मतिथि के साक्ष्य के -जैसे) रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेजसीबीएसईराज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट /आईसीएसई /, अंकपत्र-; जन्म प्रमाणपत्र-, श्रेणी प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और -लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण (पत्र-प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्/जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्रथी को परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 139. पैरा6 1.और 6 2.के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथापत्र की फोटोकॉपी भी -प्रलिपिक के फोटो पहचान/पत्र-वचन/उल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट- साथ में लानाआवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 13 10.अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी लेकर आएगा।
- 13 11.धुंधली तस्वीर औरया हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त क/र दिए जाएंगे।

14. दस्तावेज सत्यापन :(डीवी)

14 1. दस्तावेज सत्यापन (डीवी) आईएमडी द्वारा किया जाएगा। आईएमडी अपनी वेबसाइट द्वारा अभ्यर्थियों को डीवी हेतु प्रमाणपत्र जारी करेगा। अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आईएमडी की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर एक सूचना भी अपलोड की जाएगी।

- 14 2. सत्यापन के लिएशार्टिलस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों को पैरा सं.14.4 में किए गए उल्लेख अनुसार मूल दस्तावेजों और उनकी छाया प्रतियों के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
- 14.3 अभ्यर्थियोंको दस्तावेज़ सत्यापन के लिए **आवेदन** करते समय हाल की दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और एक **मूल वैध फोटो पहचान** पत्र जैसाकि ऊपर पैरा 13 7.में सूचीबद्ध हैलाना होगा ,।
- 14.4 अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होगी:
 - 14.4.1 मैट्रिक माध्यमिक प्रमाण पत्र /
 - 14.4.2 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
 - 14.4.3 जातिश्रेणी प्रमाणपत्र/, यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत है
 - 14.4. 4यदि आवश्यक हो तो आवश्यक प्रारूप में विशिष्ट दिव्यांगजन प्रमाण पत्र
 - 14.4 5.भूतपूर्व सैनिकों के लिए (ईएसएम:(
 - 14.45..1 यदि लागू हो, तो <u>अनुबंध-VI</u> के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाण पत्र देना।
 - 14.45..2 **अनुबंध-VII** के अनुसार वचनबंध।
 - 14.45..3 सेवा निवृत्ति का प्रमाणपत्र, अगर सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त होते हैं।
 - 14.4.6 प्रासंगिक प्रमाण पत्र यदि आयु में छूट की मांग करता है।
 - 14.4.7 यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन करने का दावा करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:
 - 14.4.71. पित के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पित का :मिहलाओं के विवाह के मामले में प्रमाणपत्र की सत्यापित-नाम दर्शाया गया हो या विवाह रिजस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रित या पित और पत्नी के संयुक्त फोटो सिहत पित व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र:
 - 14.4.7.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले मेंस्थिति-यथा :, पहले पित से तलाक संबंधी विलेख मृत्यु प्रमाण पत्र /; और वर्तमान पित के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पित का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रिजस्ट्रार द्वारा जारी विवाहप्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पित और पत्नी के संयुक्त फोटो सिहत पित व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
 - 14.4.7.3 महिलाओं के तलाक के मामल े मेंतलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और : शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख / शपथपत्र;

- 14.4.7.4 पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों मेंशपथ : आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख / शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर किंटेंग एक दैनिक) समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना और राजपत्र अधिसूचना (चाहिए।
- 14.5 दस्तावेज सत्यापनके लिए प्रवेशपत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।-

15 चयन का तरीका

- 15.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा। 10 रिक्तियों वाली श्रेणियों के लिए जो अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा की मेरिट की रेंज में आते हैं, वे प्रत्येक श्रेणी अर्थात [सामान्य(अना)/अजा/अजजा/अपिव/आकव/बें. दि. और भूतपूर्व सैनिक (श्रेणी वार)] के लिए रिक्तियों की संख्या से पांच गुना दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने हेतु शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। जिन श्रेणियों में रिक्तियां 10 रिक्तियों से अधिक हैं, उनमें अभ्यर्थियों को रिक्तियों की संख्या से तीन गुना अनुपात में, न्यूनतम 50 अभ्यर्थियों के अध्यर्धीन, दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- 15.2 आइएमडी से दस्तावेज सत्यापन संबंधी डाटा के प्राप्त होने पर आयोग द्वारा परिणाम तैयार किया जाएगा और इसकी वेबसाईट पर घोषित किया जाएगा। अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के अतिरिक्त आयोग द्वारा 50 % अभ्यर्थियों (श्रेणीवार) का एक रिजर्व पैनल / अतिरिक्त सूची तैयार की जाएगी। इस रेसर्व पैनल की सूची आइएमडी को सील बंद लिफ़ाफ़े में दी जाएगी और इसे आयोग की वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया जाएगा। यह रिजर्व पैनल परिणाम घोषित करने की तारीख से डेढ़ वर्ष की अविध के लिए वैध रहेगा।
- 15.3 अजा, अजजा, अपिव, और बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थित अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के अनुसार सामान्य/अनारिक्षत रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद हो। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, आपिव, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, भूपूसै और दिव्यांगजन श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- 15.4 बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति जो अनारक्षित मानकों पर इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करता है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है।
- 15.5 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, उन्हें चयन की उपयुक्तता के अध्यधीन अनारिक्षत रिक्तियों में न लेकर आरिक्षत रिक्तियों में शामिल किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आरिक्षत कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरिक्षत रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु

अनुसंशित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अविध के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा।

- 15.6 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।
- 15.7 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। उनका प्रवेश परीक्षा में के हर स्तर पर विशुद्ध रूप से अस्थाई है और पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है। यदि लिखित परीक्षा के पश्चात कभी भी सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे किसी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

16. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कारवाई:

16.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी भी दुराचरण/कदाचार के लिए दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की ज परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा।

| क्र.सं. | कदाचार का प्रकार | वारित |
|---------|--|--------|
| | | अवधि |
| 1 | परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफशीट, प्रवेशपत्र की आयोग | 2 वर्ष |
| | की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी | |
| | अनिधकृत व्यक्ति को देना। | |
| 2 | परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना | 2 वर्ष |
| 3 | परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के | 3 वर्ष |
| | किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना। | |
| 4 | परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना | 3 वर्ष |
| 5 | गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना। | 3 वर्ष |
| 6 | अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा | 3 वर्ष |
| | लेना। | |
| 7 | 'स्विच ऑन' या 'स्विचऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना। | 3 वर्ष |
| 8 | नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना। | 3 वर्ष |
| 9 | कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो। | 3 वर्ष |
| 10 | परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना। | 5 वर्ष |
| 11 | जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना। | 5 वर्ष |
| 12 | परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों / हथियारों को रखना। | 5 वर्ष |
| 13 | परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के | 7 वर्ष |
| | किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें | |

| | शारीरिक हानि पहुंचाना। | |
|----|--|--------|
| 14 | आग्नेय शस्त्रों / हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना -धमकाना। | 7 वर्ष |
| 15 | परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर | 7 वर्ष |
| | लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना। | |
| 16 | परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास | 7 वर्ष |
| | रखना। | |
| 17 | छद्मवेषन / किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराना। | 7 वर्ष |
| 18 | स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना। | 7 वर्ष |
| 19 | रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर / एप / लैन / वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को | 7 वर्ष |
| | साझा करना। | |
| 20 | परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा | 7 वर्ष |
| | प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना। | |

- 16.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।
- 16.3 आईएमडी से संबंधित मुद्दों को छोड़कर परीक्षा की विज्ञप्ति से संबंधित अदालती मामलों / आरटीआई /लोक शिकायतों, ऑनलाइन आवेदन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने और मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित मुद्दों पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। शेष अदालती मामलों/आरटीआई/लोक शिकायतों आदि पर आईएमडी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 16.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के दौरान किसी भी कदाचार या प्रतिरूपण आदि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द करने की कार्रवाई एसएससी द्वारा की जाएगी।
- 16.5 डीवी के आयोजन के दौरान किसी भी कदाचार या प्रतिरूपण आदि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के मामलों पर कार्रवाई आईएमडी द्वारा की जाएगी।
- 16.6 मेरिट सूची / रिजर्व सूची में परिवर्तन (शामिल करने / सूची से निकालने) के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर आईएमडी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 17 आयोग का निर्णय अंतिम: पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, अभ्यर्थियों का पदों / संगठनों के लिए चयन एवं आबंटन से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछ-ताछ / पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
- 18 **न्यायालय का क्षेत्राधिकार :** इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय /न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने परीक्षाएं दी है।

19. अयोग्यता: कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पित या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पित या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमित है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

20. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:

- (क) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
- (ख) अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेसाइट की विसंबंधनता / लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
- (ग) कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। शैक्षिक योग्यता और जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में सहायक प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय आईएमडी द्वारा मांगी जाएंगी। परिणाम घोषित होने के बाद आईएमडी द्वारा शारीरिक और चिकित्सा मानकों को सुनिश्चित किया जाएगा। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आईएमडी द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र/शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। प्रमाणपत्र/शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी आदि के दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (घ) अजा / अजजा / अपिव / आकव / बेंचमार्क दिव्यांगजन लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक को आयु में छूट प्राप्त करने के लिए दस्तावेज सत्यापन के समय अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (ड.) केवल बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांगजन माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे।

- (च) जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।
- (छ) देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजन व्यक्तियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है।
- (ज) ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमित है, जिसमें 'आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और एक से अधिक बार (किसी भी स्तर पर) परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
- (झ) ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए एक दिन की अविध प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक-बारगी पंजीकरण/ ऑनलाईन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनः जमा करने की अनुमित दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के पैरा-10 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।
- (ञ) सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार/ संशोधन की अनुमित नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- (ट) अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम तथा माता का नाम ठीक वैसा ही लिखें जैसे उनके मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दिया गया है। अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय आयोग के ध्यान में जब कभी भी आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- (ठ) अपाठ्य / धुंधले फोटो / हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

- (ड) अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सही तथा सक्रिय ईमेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर दें क्योंकि आयोग द्वार ईमेल/एसएमएस के माध्यम से पत्राचार दिया जा सकता है।
- (ढ) आयोग सक्षम प्राधिकारी से उचित प्राधिकरण के अधीन सत्यापन उद्देश्य के लिए अभ्यर्थियों के आधार डेटा का उपयोग कर सकता है।
- (ण) अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी हाल ही के फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्मितिथि मुद्रित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपने जन्मितिथि के साक्ष्य में अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र (पैरा 13.7 के अनुसार) लाना चाहिए। जन्मितिथि के साक्ष्य के रूप में लाने वाले फोटो पहचान पत्र/ प्रमाणपत्र तथा प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मितिथि बेमेल होने के मामले में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी। बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 6.1 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लानी होगी।
- (त) किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी/साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
- (थ) सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
- (द) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर/अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या अगले स्तर की परीक्षा प्रारंभ होने से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए।
- (ध) यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा आईएमडी से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
- (न) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और सामने का दृश्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद

| _ 4 _ 4 | 77 7 | | <u> </u> | |
|--------------|------------------|-----------------|---|-------------------------|
| कर दा जाएगा। | फाटाग्राफ क नम | न या भ्वाकार | 1/अस्वाकाय ह | अनुबंध-∨ में दिए गए हैं |
| 11/21/11/11 | 14101511 14 14 1 | 1 -11 \ -11 101 | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 2131-1 1 1137 176 |

अवर सचिव, भारत सरकार 30-09-2022

<u>अनुबंध-I</u>

परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

| प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ | 'सुश्री/श्रीमती(दिव्यांग | अभ्यर्थी का नाम), |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| सुपुत्र/सुपुत्री | , ग्राम/जिला/राज्य | के निवासी |

| हैं, जोकि | (दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिाखित दिव्यांगता का स्वरूप और |
|-----------------------------|---|
| उसकी प्रतिशतता) से | ने पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक |
| सीमाएं हैं जिनसे उन | की लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं। |
| | |
| | |
| | हस्ताक्षर |
| | सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक |
| | नाम व पदनाम |
| | सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर |
| | |
| | |
| स्थान: | |
| तारीख: | |
| uitia. | |
| टिप्पणी : संबंधित वि | वेषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग |
| विशेषज्ञ/पी | ोएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए। |
| | |
| | |
| | |
| | <u>अनुबंध-II</u> |
| | |
| | स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र |
| | |
| | (दिव्यांगता का स्वरूप) दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, (जिले का नाम) (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) में स्थित |
| | |

| है। मेरी शैक्षिक योग्यता है। |
|---|
| मैं सूचित करता/करती हूं कि (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी। |
| मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता है। यदि बाद में यह पता |
| चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से |
| अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा। |
| |
| (दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर) |
| स्थान: |
| तारीख: |
| |
| |

अनुबंध-111

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I.एक बारगी पंजीकरण
- II.परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण (

- 1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढें।
- 2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा।)

i.वोटर आईडी कार्ड

ii.पैन

iii.पासपोर्ट

iv.ड्राइविंग लाइसेंस

v.स्कूल/कॉलेज आई डी

vi.नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)

घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी। ङ.दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।

- 3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, http://ssc.nic.in पर 'Login' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
- 4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
 - क. प्रारंभिक विवरण
 - ख. अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
 - ग. घोषणा।

5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:

- क. किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षितहै। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
- ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।
- ग. क्रम संख्या-2: अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।
- घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक** वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ङ. क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक** वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

- च. क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक** वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ. क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:
 - i.शिक्षा बोर्ड का नाम
 - ii रोल नंबर
 - iii.उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज. क्रम संख्या-7: लिंग
- झ. क्रम संख्या-8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)
- ञ. क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सिक्रय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड /पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पृष्टि करने की आवश्यकता होगी। पृष्टि होने पर, आपका डाटा सहेजा जाएगा तथा आपका पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे।
- ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, अपनी पंजीकरण संख्या और बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'नेक्स्ट' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।
- द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें
- न. क्रम संख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

- प . क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई विशिष्ट दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- फ. क्रम संख्या: 15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'मैं सहमत हूं' पर क्लिक करें।
- म. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी पर अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।
- 6. यद्यपि आप अपने एक बारगी पंजीकरण में परिवर्तन कर सकते है, तथापि अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें। गलत या त्रुटिपूर्ण सूचना से आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- 7. आपको पुन :सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।
- 8. प्रारंभिक सूचना प्रस्तुत करने के बाद यदि आप पंजीकरण प्रक्रिया को 14 दिनों के भीतर पूरा नहीं करते हैं तो आपका डाटा प्रणाली से हटा दिया जाएगा।


अनुबंध-III क (1/4)

एकबारगी पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉटस


NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

| a. Aadhaar Number | |
|---|---|
| | Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card |
| b. Verify Aadhaar Number | |
| c. Type of ID * | Driving License • |
| | Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number |
| d. ID Number * | BRHPK3731M |
| a. Name * | SAMPLE NAME |
| | Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate Please enter name without any salutation (i e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof) |
| b. Verify Name * | SAMPLE NAME |
| c. Have you ever changed Name? | ○ Yes ● No |
| d. New Name / Changed Name | |
| a. Father's Name * | SAMPLE FATHER NAME |
| | Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc |
| bb. Verify Father's Name ★ | SAMPLE FATHER NAME |
| la. Mother's Name * | SAMPLE MOTHER NAME |
| | Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Ms/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc |
| lb. Verify Mother's Name * | SAMPLE MOTHER NAME |
| ia. Date of Birth (DD/MM/YYYY) * | 02/01/1999 |
| | Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate |
| ib. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) * | 02/01/1999 |
| i. Matriculation (10 th Class) Examination details : | |
| i). Education Board * | Central Board of Secondary Education (CBSE) |
| | Education Board of Matriculation Examination |
| ii). Verify Education Board * | Central Board of Secondary Education (CBSE) |
| iii). Roll Number * | 301739 |


अनुबंध-III क (2/4)



अनुबंध-III क (3/4)



अनुबंध-III क (4/4)




भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

- 1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:
 - क. हाल का (अर्थात परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो)20 केबी से 50 केबी। (फोटो का छवि आयाम लगभग3.5 सेमी (चौड़ाई)X 4.5 सेमी होना चाहिए। (ऊंचाई)फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मे लगाए होनी चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्वीकृतअस्वीकृत / -फोटोग्राफ के नम्ने अनबंधV में दिए गए हैं।
 - ख. जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर)10 से 20 केबी। हस्ताक्षर छवि का आयाम (लगभग4.0 सेमी (चौड़ाई)X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अस्पष्टधुंधले हस्ताक्षर वाले/ आवेदन पत्रों को निरस्त करदिया जाएगा।
 - ग. अर्हक शैक्षिक योग्यता का ब्योरा जैसे उत्तीर्ण करने का वर्ष ,.अनुक्रमांक सं ,प्रतिशत / विश्वविद्यालय का नाम इत्यादि। ,सीजीपीए
- 2. अपनी 'पंजीकृत संख्या'और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
- 3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत 'Scientific Assistant in India Meteorological Department Examination 2022' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
- 4. क्रम सं1-.से14 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी भी ब्योरे में परिवर्तन करना चाहते है तो अपने लॉग-ईन स्क्रीन के बाएं हाथ के कोने में प्रदान की गई "Modify Registration" टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ाने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।
- 5. क्रम संख्या-15: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
- 6. क्रम संख्या-16.1: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं या सशस्त्र सेना में कार्यरत है, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हे 'No' विकल्प चुनना चाहिए।
- 7. क्रम संख्या-17.1: यदि आप दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित- दो.बा.) और प्रमस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगजन हैं (पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं)।
- 8. क्रम संख्या-17.2: यदि आप लिखने में शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और आपकी तरफ से लिखने के लिए प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो चयन करें। अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति का पैरा-6 देखें।
- 9. क्रम संख्या-17.3 से 17.5: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-6.1 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

- 10. क्रम संख्या-18.1: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपयुक्त आयु छूट श्रेणी का चयन करें।
- 11. क्रम संख्या-19.1 और 19.2: यदि आप "No" का चयन करते हैं तो इस परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा संख्या 7 के अनुसार इस पद के लिए पात्र नहीं हैं।
- 12. क्रम संख्या-20: कृपया अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें।
- 13. क्रम संख्या-21: भाग-II परीक्षा के लिए विषय का चयन करें।
- 14. क्रम संख्या-22: अर्हक शैक्षिक योग्यता का ब्योरा प्रदान करें।
- 15. क्रम संख्या- 23, 24 और 25 : वर्तमान और स्थायी पता से संबंधित जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वत :भर जाएगी।
- 16. अपना हाल का फोटोग्राफ अपलोड करें (परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए) जैसा कि उपर्युक्त क्रम संख्या-1क पर निर्दिष्ट किया गया है। धुंधले फोटोग्राफ वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। स्वीकार्य / अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में दिए गए हैं। अभ्यर्थी उसी का संदर्भ लें।
- 17. अपने हस्ताक्षर अपलोड करें, जैसाकि क्रम संख्या-1ख पर निर्दिष्ट किया गया है। **धुंधले हस्ताक्षर वाले** आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- 18. क्रम संख्या-26: उपर्युक्त अपलोड किया गया फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि अपलोड किया गया फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं है तो 'Yes' का चयन करें।
- 19. घोषणा को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उससे सहमत हैं तो "मैं सहमत हूं" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।
- 20. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। अगर आप किसी भी प्रविष्टि का संशोधन करना चाहते है तो 'Edit/Modify' बटन दबाएं और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित संशोधन कर लें। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही तरीके से भरी गई है तो जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन'सबिमट' करें। आवेदन जमा करने के बाद आप ऑनलाईन आवेदन में कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे।
- 21. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
- 22. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा,मास्टर कार्ड,मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में नकद जमा किया जा सकता है।शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-9 का संदर्भ लें।
- 23. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबिमट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति 'Applicaton Received (Contents Not Verified' दर्शाई जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कोई भी शिकायत, अगर हो तो, उसके निपटान के लिए आपको ऑनलाईन आवेदन फॉर्म का प्रिन्ट-आउट प्रदान करना पड़ सकता हैं।

| Scientific Assistar | nt in India Meteorological Department Examination, 2022 |
|--|---|
| | Instructions |
| PLEASE E | BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM |
| Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate) | SAMPLE NAME |
| 2. New / Changed Name: | |
| 3. Father's Name: | SAMPLE FATHER NAME |
| 4. Mother's Name: | SAMPLE MOTHER NAME |
| 5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate): | 02/07/1992 |
| 6. Age as on 18/10/2022: | 30.3 |
| 7. Gender: | Male |
| 8. Category: | UR |
| 9. Whether Person with Benchmark Disability (PwBD)? : | No |
| 9.1. If Yes, Type of Disability: | |
| 10. Nationality: | Citizen of India |
| 11. Mark of Visible Identification: | MOLE ON RIGHT CHEEK |
| 12. Matriculation (10 th Class) Examination Board: | Central Board of Secondary Education (CBSE) |
| 13. Matriculation (10 th Class) Roll No.: | 301739 |
| 14. Matriculation (10 th Class) Year of Passing: | 2013 |
| 15. Preference of Examination Centres:* | Center 1 ✓ Center 2 ✓ Center 3 ✓ |
| 16.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces?:* | ○Yes ○No |
| 16.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY): | |
| 16.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY): | |
| 16.4. Length of Service in the Armed Forces: | |
| 16.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM) : Please refer to the Notice of Examination, Para-4.7 | ○Yes ○ No |
| 16.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY): | |



| 24. Permanent Address | Sample Permanent Address | |
|--|------------------------------------|--|
| State: | Punjab | |
| Pin: | 140401 | |
| Mobile Number: | 8111111111 | |
| Email: | sample123@gmail.com | |
| 25. Contact Details for Other Nationals: | | |
| Photograph and Signature | | |
| Upload a photo taken on 30-Ju or later* Allowed File Size: 20 KB to Format: JPEG/ JPG Image Size: About 3.5 cm (wid cm (height) Choose File No 26. Whether the photograph has been taken on or aft 30-June-2022?: | 50 KB (th) × 4.5 file chosen | Upload Signature * Allowed File Size: 10 KB to 20 KB Format: JPEG/ JPG Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height) Choose File No file chosen |
| | this application are true, comple | ntioned therein. te and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the neligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ |
| appointment is liable to be cancelled. I am willing t | o serve anywhere in India. | |
| 3. I declare that the photograph uploaded in the Application Form has been taken on or after the stipulated dated. | | |
| 4. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose.* | | |
| *Verification will be subject to authorization from competent authority. I Agree | | |
| Try Another ENTER TEXT | Preview Res | et Close |

अनुबंध-V

फोटोग्राफ के नमूने

स्वीकृत फोटोग्राफ



अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने

बहुत नजदीक



धुंधले फोटोग्राफ



टोपी के साथ



अत्यधिक गहरा रंग



धूप वाले चश्मे के साथ



उल्टी फोटो

अत्यधिक रंगीन

तिरछी दृश्यमान फोटो



बहुत छोटी



चश्मे के साथ







सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

| मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) | | | |
|---|---|----------|-------------------------|
| (रैंक) | (नाम) | (दिनांक) | को सशस्त्र सेना |
| में अपनी नियुर्ग | क्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे। | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 0 0) |
| | | (कमान | न अधिकारी के हस्ताक्षर) |
| | | | कार्यालय की मुहर |
| स्थानः | | | |
| दिनांकः | | | |

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

| में | , अनुक्रमांक |
|--|---|
| परीक्षा, 20 के त | स्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि: |
| (क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिवित अनुसार भूतपूर्व सैनिकों कोअनुमत लाभों का हकदा | त सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के र हूँ। |
| | उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों ग्रहण नहीं किया है ; अथवा |
| को कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एततद्वारा वचनबद्ध हूँ ' | ए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकपद पर कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा |
| | ाए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकपद पर ं छूट पाने के लिए पात्र हूँ; |
| | वेवरण जहाँ तक मुझे पता है विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं नी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति |
| | हस्ताक्षर: नाम: अनुक्रमांक: दिनांक: सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि: कार्यमुक्ति की तिथि: अंतिम यूनिट / कोर: |
| | ईमेल आईडी: |

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-िपता (या जीवित माता-िपता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-िपता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या मूल प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

| प्रमाणित किया जाता है वि | ज्र श्री/श्रीमती/कुमारी* | |
|------------------------------------|------------------------------|---|
| पुत्र/पुत्री | | जिला/संभाग* |
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* | | अनुसूचित जाति/जनजाति से संबधित हैं जो |
| निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अ | नुसूचित जाति/अनुसूचित जन | ाजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:- |
| संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश | r, 1950 | |
| संविधान (अनुसूचित जनजाति) आ | देश, 1950 | _ |
| संविधान (अनुसूचित जाति) संघ रा | | |
| संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ | । राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* | |
| अनुसूचित जाति एवं अनु | सूचित जनजाति सूची (परिश | ोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम |
| | | राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन |
| अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित | जाति एवं अनुसूचित जनजा | ति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथ |
| संशोधित। | | |
| | | |
| संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूर्ी | चेत जाति आदेश, 1956 | |
| अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन | ाजाति आदेश(संशोधन अधि | नियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान |
| (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) | अनुसूचित जनजाति आदेश | , 1959 |
| संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अ | नुसूचित जाति आदेश,1962 | |
| संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अ | नुसूचित जनजाति आदेश, 1 | 962@ |
| संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जा | ति आदेश, 1964@ | |

| सावधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@ |
|--|
| संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@ |
| संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@ |
| संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@ |
| संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@ |
| संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@ |
| संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@ |
| संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@ |
| संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@ |
| संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@ |
| संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996@ |
| अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002@ |
| संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@ |
| संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@ |
| संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007@ |
| %2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
| प्रशासन से प्रवास कर गए हैं। |
| यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* के माता/पिता श्री/श्रीमती निवासी |
| ग्राम/कस्बा* जिला/संभाग* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* को जारी किए गए |
| अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो जाति/ |
| जनजाति से संबंधित हैं जो दिनांक द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित |
| जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। |
| %3 श्री/श्रीमती/कुमारी और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* जिला/संभाग* |
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रहता है। |
| |
| हस्ताक्षर |
| **पदनाम |
| (कार्यालय की मुहर सहित) |
| स्थान |
| दिनांक |
| *जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें। |
| @राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें। |
| % जो अनच्छेद लाग न हो उसे काट दें। |

<u>टिप्पणी:</u>- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है। **टिप्पणी:-** तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल **राजस्व मंडलीय अधिकारी** द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

| यह प्रमापि | गेत किया जाता है कि श्री/श्रीमती | /कुमारी सुपुत्र/सु | पुत्री |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ग्राम/कस्बा | जिला/संभाग | _ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | समुदाय से संबंधित हैं |
| जो भारत सरकार, | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | मंत्रालय के संकल्प सं | * दिनांक* के |
| अंतर्गत पिछड़ी जा | ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। | श्री/श्रीमती/कु० | तथा/या उनका परिवार |
| सामान्यतः | राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के - | जिला/संभाग म | में रहता/रहते हैं ।यह भी |
| प्रमाणित किया जा | ता है कि वे भारत सरकार, कार्मिव | न एवं प्रशिक्षण विभाग के काय् | र्गालय ज्ञापन सं 36012/ |
| 22/93-स्था (एसस | गीटी), दिनांक 8.9.1993** की उ | अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लि | नखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी |
| लेयर) से संबंधित | नहीं हैं। | | |
| | | | |
| | | | |
| जिलाधीश | | | |
| उपायुक्त आदि | | | |
| , and the second | | | |
| | | | |
| दिनांक: | | | |
| मुहर: | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

^{*}प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

^{**} समय समय पर यथा संशोधित

| | | | अनुबंध- 🕽 |
|-----------------|---|---|---------------------------------|
| | | सरकार | |
| | (प्रमाणपत्र जारी करने | वाले अधिकारी का नाम और पता |) |
| <u>आर्थिक</u> | रूप से पिछ़डे वर्गों द्वारा प्रस्तृत वि | केए जाने वाला आय और संपर्ि | त्त संबंधी प्रमाण-पत्र |
| प्रमाण-पत्र संख | | | |
| | वर्ष | लिए मान्य | |
| प्रमाणि | गत किया जाता है कि श्री/श्रीमर्त | /कुमारी | पुत्र/पुत्री/पर्त्न |
| | स्थायी निवासी | गाँव/गली _ | डाकघ |
| | जिला | | राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र |
| | पिन कोड | जिनकी फोटो नीचे सत्यापि | ोत की गयी है, आर्थिक रूप |
| से कमजोर वर्ग | से हैं क्योंकि वित्त वर्ष | के लिए उनकी /उनके 'प | रिवार' ** की कुल वार्षिव |
| | (केवल आठ लाख रुपये) से कम | | |
| नहीं है : | , | | · |
| I. | 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि | । भिम् | |
| II. | | <u>~</u> | |
| III. | 9 | i 100 वर्ग गज या उससे अधिक क | ज आवासीय भखंड: |
| IV. | अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक क | | |
| -,, | आवासीय भूखंड। | | |
| 2. श्री/श्रीमती | | का संबंध | जाति से है जिस |
| अनुसूचित जाति | /कुमारी ते, अनुसूचित जनजाति और अन्य ी | पेछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप मे | । । । । । । । |
| | | कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्ष | ₹ |
| | | नाम . | |
| | | पट | Ţ |
| आवेटक के | हाल ही के पासपोर्ट | | |

* नोट 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

आकार की सत्यापित फोटो

^{**} नोट 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे। *** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

प्रपत्र-V

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में) (नियम 18(1) देखें)

| (114110(1) 43) | |
|--|--------------------------------|
| (प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता) | दिव्यांग का हाल ही का पासपोर्ट |
| | आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल |
| | चेहरे का) |
| प्रमाण पत्र सं दिनांक | · |
| प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी | । सपत्र/ पत्नी / |
| सुपुत्रीजन्म तिथि | 55 |
| ०० वर्ष पुरूष/ महिला पंजीकरण संख्या मकान नं | वार्ड/गांव/गली |
| डाकघर जिला राज्य के स्थायी निवासी है | |
| गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:- | |
| | |
| (क) उनका मामला: | |
| गितिविषयक दिव्यांगता | |
| • बौनापन | |
| नेत्रहीनता का है | |
| (जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं) | |
| (ख) उनके मामले में निदान किया गया है। | |
| (ग) वे दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की त | नारीख) के अनुसार अपने |
| (शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में %(अंकों में) | % (शब्दों में) |
| स्थायी गतिविषय दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं। | , |
| | |
| 2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं | : |
| दस्तावेज का स्वरूप जारी करने की तारीख प्रमाण-पत्र जारी करने | वाले प्राधिकारी का ब्यौरा |
| | |
| | |

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है